			deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of Deputation (including short term contract) including period of Deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by Deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).		

[F. No. A.12018/04/2019-ME]

INDRANI KAUSHAL, Economic Advisor

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 159.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफ़दरजंग अस्पताल (तृतीय श्रेणी पद), भर्ती नियमावली, 1973 को, जहाँ तक इसका संबंध स्वास्थ्य शिक्षक के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण करने से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में स्वास्थ्य शिक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, स्वास्थ्य शिक्षक (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता:- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचितजातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन या अचयन पद**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्वास्थ्य शिक्षक	5* (पाँच) (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400रुपये/-)।	लागू नहीं होता ।	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो ।**	**भर्ती की पद्धति,भर्ती सीधीहोगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्तिद्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्नपद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(7)	(8)	(9)	(10)
(क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्वास्थ्य शिक्षा में स्नातक की डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम से कम एक वर्ष की अवधि के स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा के साथ किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री।	लागू नहीं होता ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों हेतु दो वर्ष, दो सप्ताह के अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण के पूरा होने के अधीन है।	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त संगठन या संस्थान या अस्पताल से स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में दो वर्षों का अनुभव। या (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या अस्पताल से स्वास्थ्य शिक्षा या समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य में मास्टर की डिग्री; और (ii) किसी मान्यताप्राप्त संगठन या संस्थान या अस्पताल से स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा में कम से कम एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएं, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा□	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के अधीन ऐसे अधिकारी जो: (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण	समूह 'ख' पुष्टीकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल - अध्यक्ष; 2. संबंधित विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं हैं।

किए हुए हैं;या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29,200-92,300 रुपये) या समतुल्य में छह वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जो स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	3. उपनिदेशक, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य; 4. उप निदेशक, चिकित्सा अस्पताल अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य।	

[फा. सं. ए.11018/17/2018-एमएच.II]

विक्रमजीत चौधरी, अवर सचिव

New Delhi, the 6th November, 2023

G.S.R. 159.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital, (Class III Posts) Recruitment Rules, 1973 in so far as it relates to the posts of the Health Educator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Health Educator in the Safdarjung Hospital, New Delhi, under the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare Safdarjung Hospital, New Delhi, Health Educator (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. –** The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Health Educator.	5*(Five) (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix. (Rs. 35400-112400/-).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(6)	(7)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential: (A)(i) Bachelors degree in Health Education from a Recognised University or Institute; Or Bachelors degree in any discipline with Diploma in Health Education of at least one year duration from a Recognised University or Institute; (ii) Two years experience in the field of health education from recognised Organisation or Institute or Hospital. Or (B) (i) Masters degree in Health Education or Sociology or Social work from a recognised University or Institute; and (ii) One year experience in the field of Health Education from a recognised organisaton or Institute or Hospital. Desirable: At least one year experience in Health Education in Rural Area. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stages of selection the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruits, subject to completion of Two weeks mandatory induction training.	Deputation including short term contract failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made,	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract): Officers under the Central or State Governments or Union territories or autonomous or statutory organizations or Public Sector Undertaking or University or recognised Research Institution: (a)(i) holding analogous posts on regular basis. (ii) with six years regular service in Level- 5 (Rs. 29200-92300/-) of the pay matrix; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The Period of Deputation (including short term contract) including the period of Deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years on the closing date or receipt of applications.	Group 'B', Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Medical Superintendent , Safdarjung hospital -Chairman, 2. Head of the Concerned department, Safdarjung hospital -Member, 3. Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital -Member, 4. Deputy Director, Medical Hospital Section, Directorate General of Health Services -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary

[F. No. A.11018/17/2018-MH.II]

BIKRAMJIT CHOUDHURY, Under Secy.

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 160.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औरजल संसाधन मंत्रालय,केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे,सहायक इंजीनियर और कनिष्ठ इंजीनियर, समूह'ख'पद भर्ती नियम, 2011 जहां तक उनका संबध कनिष्ठ इंजीनियरके पद से है,कोउन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुएजिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में कनिष्ठ इंजीनियर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात :-

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे कनिष्ठ इंजीनियर, (समूह 'ख'पद) भर्ती नियम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदकी संख्या, वर्गी करण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (**5**)से स्तंभ (13)में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या